तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर

अपील संख्या– 61/2016 अंतर्गत धारा–76 एल.आर.एक्ट

(GCMS No. 2016/00100)

अनवान:

1. प्रवीण मित्तल पुत्र बनारसीदास जाति दास निवासी गीता कॉलोनी, वार्ड नंबर 13, असन्ध तहसील असन्ध जिला करनाल।

बनाम

1. मैसर्स एक्मे क्लीनटेक सोल्युशन लिमिटेड प्लॉट नं. 152, सैक्टर नं. 44, गुड़गांव हरियाणा जरिये अधिकृत प्रतिनिधि हरेन्द्रनाथ त्रिपाठी (ऑर्थोराइज्ड) सेक्रेटरी।
2. पवन कुमार अग्रवाल पुत्र बुलाकीदास अग्रवाल निवासी सुराणों का मौहल्ला, बीकानेर।
3. अजय कुमार पुत्र लखपतराय अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 12, करनाल रोड, असन्ध तहसील असन्ध जिला करनाल।
4. जसवीर सिंह पुत्र बलवान सिंह जाति जाट निवासी सालवन तहसील असन्ध जिला करनाल। (हरियाणा)
5. प्रदीप पुत्र तुमन सिंह जाति राजपूत निवासी सालवन तहसील असन्ध जिला करनाल। (हरियाणा)
6. पवन पुत्र तुमन सिंह जाति राजपूत निवासी सालवन तहसील असन्ध जिला करनाल। (हरियाणा)
7. सरपंच ग्राम नोखड़ा तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।
8. उपखण्ड अधिकारी कोलायत तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

15.04.2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को बार–बार आवाज लगाई गई, बार–बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांट उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांट स्वयं उपस्थित हुए। अभिभाषक अपीलान्ट को रेस्पोडेंट संख्या 4 ता 7 के निमित सम्मन प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 20.07.2016 से लगातार पाबन्द किया जाता रहा है, किन्तु अभिभाषक अपीलान्ट को बार–बार पाबन्द किये जाने के बावजूद आदिनांक सम्मन प्रस्तुत नही किये हैं। अपीलान्ट द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलांट को लगातार पाबन्द करने के बावजूद भी आदिनांक तक सम्मन प्रस्तुत नहीं किये है। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(1)(2) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं अदम तकमील में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक 15.04.2025 को सुनाया गया।

(डॉ. रवि कुमार सुरपुर)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर